

ORDER SHEET

COURT - JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

एच के ए गुप्ता
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

Case No. 60028 of 2016

Date of
order of
Proceeding

Order or Proceeding

Signature of
Parties of
pleaders where
Necessary

आज आरक्षी केन्द्र गो के उपनिरीक्षक / सहायक
उपनिरीक्षक / प्रधान
को 1587 द्वारा थाना प्रमारी की ओर से अपराध
को 1583/16 अंतर्गत धारा 34 डाकबाजी एच के अपराध
भा 0 द 0 सं 0 अधिनियम के अधीन दण्डनीय
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए 0 डी 0 पी 0 ओ 0 श्री सुबीण लिटिड लिबरल कार उप 0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण 21 म सेवक स 8 अभिनाथ उग्र 48

निवासी / निवासीगण
थाना गो जिला बिठूर राज्य मध्य प्रदेश
उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता
श्री द्वारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा 0 द 0 सं 0 / 34 डाकबाजी अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द 0 प्र 0 सं 0 के अधीन तज्ञान विषय जानें का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द 0 प्र 0 सं 0 के द्वारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों के परामर्श प्राप्त निःशुल्क दिलाये जावे।

चूंकि अपराध जमानत प्रकरण में अभियुक्त / अभियुक्तगण का धोर सं 7000 / - (सं 7000 / -) के अधीन प्रावधानों के अंतर्गत ही राशि का व्यक्तिगत वध पत्र परत किया जावे।

21 म सेवक

भा० द० सं० /

2001-2002

शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

स मुगताया जाय।

राजसात

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

॥२६॥

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि

क्र.सं.	नाम	पता	सं.सं.	सं.सं.
क0 25	रसीद	क0 25	क0 25	क0 25

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संक्षिप्त हो।

魚

Judicial Magistrate First class
Gwalior District (M.P.)

Good District (V.P.)